30/10/25

पत्रावली वास्ते डि0डि0 पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्र जारी हो। तंत्र से दर्ज हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/199

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.31 18:54:20 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : केसरीचन्द बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा : **प्रार्थना–पत्र** अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट सं. **15** सन् **2022** GCMS 2022/199

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के, संक्षिप्त तथ्य, इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी केसरीचन्द पुत्र मांगीलाल जाति सुनार निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़ ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 256/10 में 25 बीघा बारानी भूमि सन् 1983–84 से टी.सी. आवंटनशुदा है, जिस पर आवंटन की दिनांक से प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.08.1983 की चित्रप्रति संलग्न है। सम्वत् 2042 में राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई जमाबन्दी में प्रार्थी के खाता सं. 182 में प्रार्थी का नाम केसरीचन्द वल्द मांगीलाल सुनार साकिन देह टी.सी. आवंटन अंकित करते हुए सहवन से प्रार्थी का खसरा नं. 256/11 = 25 बीघा बारानी भूमि अंकित कर दिया गया, जबकि प्रार्थी को खसरा नं. 256/10 में जैर प्रार्थना–पत्र भूमि आवंटित हुई थी, जिसे प्रार्थी ने दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2042 रोही मोकलसर खाता सं. 182 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का कब्जा काश्त खसरा नं. 256/10 पर ही है। जमाबन्दी संधारण के समय 256/10 के स्थान पर 256/11 दर्ज हो गया। अतः राज्य सरकार के हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में निर्णय किये जाने का निवेदन किया। जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर [illegible] को सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पत्रावली में उपलब्ध सा[illegible] का अवलोकन करवाया व प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को सन् 1983–84 से रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 256/10 में आवंटनशुदा क्रमशः	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.31 18:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना पत्र

फर्द अहकाम

(केसरीचन्द बनाम राजस्थान सरकार)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2025	रकबा, जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2042 में सहवन से खसरा नं. 256/11 अंकित हो गया है, को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 256/11 के स्थान पर खसरा नं. 256/10 दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।	

राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज ने जवाब प्रार्थना–पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का कब्जा काश्त खसरा नं. 256/10 पर ही है। जमाबन्दी तैयार करते समय खसरा नं. 256/10 के स्थान पर सहवन से 256/11 दर्ज हो गया, जो दुरूस्त किया जाना उचित है, इसलिए राज्य सरकार के हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने वाके रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 256/10 में 25 बीघा बारानी टी.सी. आवंटनशुदा भूमि, जो राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई जमाबन्दी सम्वत् 2042 में प्रार्थी के नाम सहवन से खसरा नं. 256/11 में 25 बीघा बारानी अंकित कर दी गई, को दुरूस्त करवाना चाहा है और राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज ने भी अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में इसे स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकृति योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से अंकित वाके रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 256/11 में 25 बीघा बारानी टी.सी. आवंटनशुदा भूमि को दुरूस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खसरा नं. 256/11 के स्थान पर 256/10 में 25.00 बीघा बारानी भूमि अंकित किया जावे। इसी ... तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में ... अग्रिम ... से आदेश जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Prakash Meena
Date: 2025.10.31 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़